

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजनांदगांव (छ0ग0)

--: सार्वजनिक सूचना :-

क्रमांक / 5558 / भू-अर्जन / भूकृती / 2016 राजनांदगांव, दिनांक 11/06/2018
 एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आपसी सहमति से भूमि कय नीति, 2016 के तहत द्वारा से ठेलकाडीह मार्ग के निर्माण / उन्नयन / विकास के लिए ग्राम छपारा, प.ह. नं. 02, रा.गि.मं. व तहसील-डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के निम्नलिखित कृषकों / भू-धारकों की भूमि की आवश्यकता होने के कारण प्रबंध संचालक, छ.ग.सड़क विकास निगम लि. रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में कय किए जाने पर विचार किया जा रहा है :-

कं.	कृषक/भू-धारक का नाम/पिता, पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे. में)	कय हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में)	भूमि की किरम
1	2	3	4	5	6
1	गोपाल पिता कसकू सा. छपारा	20/1	0.554	0.008	मुख्य मार्ग तट की भूमि
2	प्रकाशचंद जैन पिता नेमीचंद जैन सा. करेला, भण्डारपुर	94	0.410	0.012	---
3	कृपाल पिता चैनूयादव सा. छपारा	95/1	0.357	0.008	---
4	सुकलाल पिता गुला सा. छपारा	95/2	0.121	0.008	---
5	रामबाई बेवा कृपाराम सा. देह	95/3	0.190	0.013	---
	योग :-	05	1.638	0.049	

उपरोक्त दर्शित भूमि के स्वत्व के विषय में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह 15 (पन्द्रह) दिवस के भीतर स्वतः अथवा अधिकृत अधिकर्ता के माध्यम से आधार सहित मेरे समक्ष लिखित आवरित प्रस्तुत कर सकता है।

कलेक्टर,
 जिला-राजनांदगांव
 राजनांदगांव, दिनांक 11/06/2018

पृ0क्रमांक / 5558 / भू-अर्जन / भूकृती / 2016
 प्रतिलिपि :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, जिला नाजिर शाखा, जिला कार्यालय राजनांदगांव को कार्यालय के सूचना पटल में चस्पा करने हेतु अग्रेषित।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) डोंगरगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
- 3- तहसीलदार, डोंगरगढ़ को 06 प्रतियों के साथ अग्रेषित। कृपया उपरोक्त सार्वजनिक सूचना दो गवाहों के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, डोंगरगढ़, तहसील कार्यालय डोंगरगढ़ तथा संबंधित ग्राम पंचायत, छपारा के कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करावें, तथा शेष एक प्रति मय प्रतिवेदन के जारी दिनांक से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, राजनांदगांव को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।
- 5- आवेदक विभाग प्रबंध संचालक, छ.ग.सड़क विकास निगम लि. रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ अग्रेषित। कृपया उक्त सार्वजनिक सूचना एक स्थानीय और एक राज्य स्तरीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर, समाचार पत्र की दो-दो प्रतियाँ इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,
 जिला-राजनांदगांव

4